दैनिक जागरण

NAME OF NEWSPAPERS - नई दिल्ली, 24 जून, 2023

वसंत कुंज में बनाया जाएगा कुत्तों का बंध्याकरण केंद्र व पशु चिकित्सालय

नगर निगम को डीडीए आवंटित करेगा 483 वर्गमीटर भूमि

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके जाना चाहिए। केंद्र को राजस्व जुटाने सक्सेना ने दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में कुत्तों के बंध्याकरण



केंद्र वह चिकित्सालय निर्माण के लिए

आवंटन मंजूरी को दो है। पीपीपी-बीओटी (पब्लिक

प्राइवेट पार्टनरशिप) माडल पर केंद्र को विकसित करने के लिए डीडीए एमसीडी को 483 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करेगा।

एलजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हए डीडीए से अपने अनुमति पत्र में एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रस्तावित केंद्र एमसीडी की सेवाओं के अंतर्गत आता है जिसमें कुत्तों का मुफ्त इलाज किया

के लिए निजी और पालतू जानवरों के इलाज का सहारा लेना चाहिए।

राजनिवास अधिकारियों मुताबिक यह प्रस्ताव वर्ष 2019 से लंबित था जो आखिरकार अब पुरा हो जाएगा। भवन निर्माण की लागत, चिकित्सा उपकरण, केंद्र के संचालन और कर्मचारियों पर होने वाले सभी .खर्च बोली के माध्यम से चुने गए पीपीपी भागीदारों द्वारा वहन किए जाएंगे। चुने गए बोलीदाता एमसीडी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क देंगे।

कृतों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एलजी ने इसे मंजूरी दी है। शर्त भी रखी गई है कि केंद्र में बेसहारा कुत्तों की नसबंदी के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रभावी नीति जरूरी

>> संपादकीय

वसंत कुंज में कृतों के हमले की घटनाएं

- 10 और 12 मार्च को दो सगे भाइयों सात वर्षीय आनंद व पांच वर्षीय आदित्य को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला था।
- 25 मार्च को आठ वर्षीय एक बच्चे को कुछ कुतों ने नोचकर घायल कर दिया था।
- 18 अप्रैल को इसी इलाके में 13 वर्षीय मासूम को साथ आठ कत्तों ने जख्मी कर दिया था।
- दो मई को सात वर्षीय मासम और फिर चार मई को दो बच्चों और एक महिला को कुतों के झुंड ने नोच-नोचकर बुरी तरह घायल कर

यमुना को प्रदूषित करने वाली इकाइयां की जाएंगी सील

साफ करने की दिशा में कदम उठाते हुए अब अनधिकृत कालोनियाँ में चल रही सभी डाइंग, जींस व डेमिक वाशिंग इकाइयां सील की जाएंगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली हैं। एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट बोर्ड और डीडीए को इस तरह की इकाइयां सील कर वहां बिजली-पानी कनेक्शन काटने के लिए कहा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यहां कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है।

डीपीसीसी चेयरमैन अश्विनी कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार अब इस तरह की इकाइयां सिर्फ अधिकृत औद्योगिक और पुनर्विकसित क्षेत्रों में ही चल

राष्यू, नई दिल्ली : यमुना नदी को सकेंगी। डीपीसीसी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि डाइंग, जींस और डेनिम वाशिंग इकाइयां पानी को प्रदृषित करने की बड़ी वजह है। इन इकाइयों से निकलने वाले पानी में कई तरह के डाई और रसायन होते हैं। यह डाई और रसायन ही पानी में मिलकर उसे जहरीला बनाते हैं। इसमें केमिकल्स के साथ हैवी मेटल्स भी होते हैं। साथ ही रंग और अन्य तेल की वजह से पानी के रंग में भी बदलाव हो जाते हैं। यह पानी यमुना व उसके आसपास की झीलों को भी प्रदूषित कर रहा है। एनजीटी के निर्देश पर बनी कमेटी ने भी अपनी बैठक में इन डाइंग व जींस वाशिंग इकाइयों को यमना में प्रदूषण की मुख्य वजह बताया है।

प्रभावी नीति जरूरी

दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कुतों का बंध्याकरण केंद्र बनाने के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दिया जाना स्वागतयोग्य है। वसंत कुंज के रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र में कुछ सप्ताह पूर्व कुत्तों ने दो सगे भाइयों को नोच खाया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी, जबकि इसी इलाके में कुत्तों के हमले की अलग-अलग घटनाओं में कई अन्य घायल हो गए थे। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद डीडीए 483 वर्ग मीटर भूमि एमसीडी को आवंटित कर देगा, जिसपर पब्लिक प्राइवेट

पार्टनरशिप मोड पर कुत्तों का बंध्याकरण केंद्र तैयार किया जाएगा।

सिर्फ वसंत कुंज ही नहीं, आवारा कृतों से राष्ट्रीय राजधानी के हर इलाके में लोगों को बचाने की आवश्यकता है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आवारा कुत्तों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुत्तों के हमलों में लोगों की जान तक जा रही है।

का वंध्याकरण किया जाना चाहिए, ताकि दिल्लीवासियों को सुरक्षित किया जा सके

केंद्र बनाने के साथ ही

अभियान चलाकर कुत्तों

राष्ट्रीय राजधानी में इस स्थिति को कर्तई स्वीकार नहीं किया जा सकता। एमसीडी को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए और विशेष तौर पर अभियान चलाकर कृतों का बंध्याकरण सुनिश्चित कराना चाहिए। कुतों से दिल्लीवासियों की सुरक्षा नगर निगम की प्राथमिकता में होनी चाहिए। कुत्तों की समस्या से दिल्लीवासियों को निजात दिलाने के लिए एमसीडी को नई प्रभावी नीति बनाने पर विचार करना चाहिए, ताकि उनके हमले से लोगों को बचाया जा सके।

विशेषज्ञों की सलाह पर फ्लैट बेचेगा डीडीए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एक दशक से अपने सभी फ्लैट बेच पाने में नाकाम डीडीए अब इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह लेगा। अपनी आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैटों की बिक्री के लिए रियल एस्टेट एडवाइजर नियुक्त करेगा। इस निमित्त डीडीए ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) निकाला है। प्री बिड बैठक भी हो गई है। 29 जन शाम पांच बजे तक निविदा जमा और शाम छह बजे निविदा खोली जाएंगी।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट एक ऐसी व्यवस्था करने के बारे में

29 जून की शाम पांच बजे तक जमा होंगी निविदाएं. उसी दिन शाम छह वजे खुलेंगी

डीडीए को सलाह और सुझाव देंगे, जिससे उसके फ्लैटों की बिक्री बढ सके। साथ ही विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में स्थित ईडब्ल्यूएस, जनता, एलआइजी, एमआइजी व एचआइजी फ्लैटों की कीमतों के मार्केट मैकेनिज्म का अध्ययन भी करेंगे। मौजूदा आवास नियमों और फ्लैटों की लागत के तंत्र पर भी गौर करेंगे और इसके लिए उपयुक्त सुझाव देंगे। डीडीए फ्लैटों की अधिकतम बिक्री सुनिश्चित करने

के उद्देश्य से ये लोग कोने, सूर्य और मार्केट की दिशा वाले फ्लैटों के लिए पंसदीदा दरें तय करते हुए डीडीए के राजस्व बढ़ाने के उपाय भी सुझाएंगे। देशभर के अन्य विकास प्राधिकरणों व हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपने फ्लैटों की ब्रिकी के लिए अपनाए जा रहे तौर-तरीकों का भी अध्ययन करेंगे।

बता दें कि डीडीए अपनी स्थापना से अब तक 54 हाउसिंग योजनाओं में कुल 4,17,063 फ्लैट बना चुका हैं। इनमें जनता फ्लैट 86,764, एलआइजी 1,17,858, एमआइजी एचआइजी 3.715. ईडब्ल्यूस 1,154, ईएचएस 24,045 और एसएफएस फ्लैट 70,054 हैं।

N/ THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, JUNE 24, 2023

हिन्द्रस्तान

LG approves land for MCD to set up dog sterilisation centre

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Friday approved the allotment of 483 square metres to the MCD for setting up a dog sterilisation centrecum-veterinary hospital in south-west Delhi's Vasant Kunj.

The move, officials said, was aimed at curbing the menace of stray dogs. The land will be allotted by the Delhi Development Authority to the Municipal Corporation of Delhi (MCD) for developing the centre on build-operate-transfer mode.

While 16 dog sterilisation centres are there, the civic body has recently invited an expression of interest to operate five more.

Since the proposed sterilisation centre and dog clinic comes under the essential municipal services, the LG has directed the DDA to note in the permission letter to the MCD to treat stray dogs free of cost. The revenue generated from the dog clinic through other means, such as services and treatment of pets belonging to private individuals, should be utilised for running the shelter.

The LG secretariat said the proposal for the centre was pending since 2019. "All expenses on construction, medical equipment, operations and employees shall be borne by the private partners selected

AN OFFICIAL SAYS

All expenses on construction, medical equipment, operations and employees shall be borne by the private partners selected through the bidding process

through the bidding process and the successful bidder will pay an annual licence fee to the MCD," an official said.

The civic body currently pays Rs 900 per dog to the NGOs for catching strays and Rs 1,000 if the strays are sterilised.

Officials added that several incidents of stray dogs attacking people have been reported in the recent past. The Animal Birth Control (Dog) Rule, 2001, deals with the population control of strays and provides for their neutering to achieve population stabilisation. Improper implementation of this law is seen as a major reason behind the growing menace of strays," an official said.

Calling it a "praiseworthy" move, former Union minister Vijay Goel, who has been running a campaign to curb the menace of stray dogs and for their care, said more

बंध्याकरण केंद्र बनाने के लिए मंजूरी मिली

नई दिल्ली। कुतों का कंघाकरण केंद्र बनाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भूभि आवंटन को मंजूरी दे दी है। वसत कुंज में 483 वर्ग मीटर में कुनों की नसबंदी व डिस्पेंसरी केंद्र को विकसित किया जाएगा। राजनिवास के मुताबिक, पीपीपी-बीओटी आधार पर डीडीए डारा निगम को भूमि आवटित की गई है। उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डीडीए से अपने अनुमति पत्र में एनसीडी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित केंद्र और चिकित्सालय में आवारा कृतों का इलाज भी किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, २४ जून, २०२३ दैनिक जागरण

वाजितपुर गांव में मंदिर...

दूसरी ओर नरेला के एसडीएम राकेश दास ने गुरुवार रात ग्रामीणों को शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक मंदिर के कागजात दिखाने को कहा था, लेकिन कोई ग्रामीण उनके पास कागजात लेकर नहीं पहुंचा। वहीं, हरिनगर और अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के महिला व पुरुष जवानों को बवाना थाने बुलाया गया। शाम तक वे थाने के बाहर ही खड़े रहे, लेकिन उन्हें कोई आदेश नहीं मिला।

मंदिर को लेकर ग्रामीण और प्रशासन आमने-सामने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : बाहरी दिल्ली के वाजितपुर गांव में मंदिर को लेकर ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। ग्रामसभा की जमीन पर स्थित श्रीकृष्ण, हनुमान और शिव मंदिर को हटाने को लेकर ग्रामीणाँ और प्रशासन में 24 घंटे से कशमकश जारी है। गांव में सैकड़ों लोग रात में बिना सीए मंदिर को बचाने की जहाजहद में जुटे हैं। वहीं, बवाना थाने के बाहर 12 बसों से पहुंचे अधंसैनिक बलॉ



र्वाजितपुर के मंदिर के बाहर मुख्य मार्ग पर बुलडीजर के साथ खड़ पुलिस व अर्घसीनक बल के जवान 🍽 जामरण

 मर जाएंगे पर मंदिर की एक ईट भी नहीं गिरने देंगे, बनेगी समिति: ग्रामीण

आदेश के इंतजार में अर्धसैनिक वल थाने के बाहर रहा तैनात

पूर्वर्जो ने कराया था। मंदिर की एक ईंट भी नहीं गिरने दी जाएगी, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। यह मंदिर गांव के लोगों की जमीन पर बना है। इस जमीन को ग्रामीणों ने स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाने के लिए छोड़ा था। बाद में इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को हैंडओवर कर दिया गया। अब डीडीए की ओर से इसे नागरिक सुरक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर की तरह यहां पर श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पंचायत में इस बात पर सहमति बनी कि मंदिर को टूटने से बचाने के लिए समिति बनाई जाएगी। पांच लोगों की इस समिति के सदस्य उत्तरी जिले के अधिकारी से मिलेंगे। गांव की धरोहर को बचाने के लिए एलजी से मिलेंगे। साथ ही मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे।

के जवान प्रशासन के आदेश के शुक्रवार को ग्रामीणों की पंचायत हुई, जिसमे ग्रामीणों ने दो ट्रक कहा गांव के दादा मालदेव मंदिर में कि इस मंदिर का निर्माण उनके

शंघ >> पेज 7

Hindustan Times

Saturday, June 24, 2023

DATED

LG clears Vasant Kunj land for dog sterilisation centre

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Friday approved a dog sterilisation centre-cum-veterinary hospital in southwest Delhi's Vasant Kunj area.

Officials said that the proposal for this centre was pending since 2019 and is aimed at keeping dog bite incidents in check.

About 483 square metres of land will soon be allotted by the Delhi Development Authority (DDA) to the Municipal Corporation of Delhi (MCD) for developing the sterilisation centre on a PPP-BOT (public-private partnership-build operate transfer) model, officials said.

While approving the proposal, the LG directed DDA to ensure, through its permission letter to the MCD, that since the proposed centre and dog clinic is an essential municipal service, community dogs should be treated free of cost.

Meanwhile, revenue generated through other means, such as treatment of pets, should be utilised to run the centre, the LG said.

"In the recent past, there have been several incidents where community dogs have attacked and even killed people. The Animal Birth Control (Dog) Rule, 2001, deals with the population control of strays. It provides for the neutering of community dogs to achieve population stabilisation, as opposed to killing them. Improper implementation of this law is also seen as a major reason behind the growing menace of strays and increasing bite cases," said an official from the LG's office.

The LG has also directed that MCD will mention terms and condition during the tendering process that all expenses on building, construction, medical equipment, operations and employees will be borne by the private partners selected via bidding process and that the successful bidder will pay an annual licence fee to the MCD.

Earlier this week, mayor Shelly Oberoi said that MCD will soon form committees that will work with volunteers in government veterinary hospitals to look into issues related to stray animals in the city.

There are 16 animal birth control (ABC) centres operated by MCD across the city and there are plans to start five more soon — in Dwarka Sector 29, Rohini Sector 27, Tughlakabad, Prahladpur and Mundhela.

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स । मर्ड दिल्ली । शानिवार, 24 जुन 2023 ATED

वसत कुज में बनाया जाएगा

एलजी ने दी

मंजूरी, अब कुत्तों से मिलेगी लोगों

जमीन की

को राहत

🏿 विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में आवरा कृतों की नसबंदी और इलाज के लिए वसंत कुंज इलाके में जमीन के आबंटन को एलर्जी ने मंजूरी दे दी है। इस जमीन पर कुत्तों

के लिए नसबंदी केंद्र और डिस्पेंसरी/पश चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा।

एलजी की मंजूरी मिलने के बाद अब डीडीए के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड में आवारा कृतों के नसबंदी केंद्र को विकसित करने के लिए एमसीडी को 483 वर्गमीटर

भूमि आबंटित की जाएगी। यह प्रस्ताव 2019 से ही

प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीडीए से अपने अनुमति पत्र में एमसीडी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यहां बनने वाले सेंटर में आवारा कुत्तों का मुफ्त इलाज और नसबंदी की जाए और दूसरे विकल्पों जैसे कि पालतू कुत्तों का

इलाज और उनसे जुड़ी अन्य सेवाओं के जरिए सेंटर चलाने के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जाए। एलजी का तर्क है आवारा कुत्तों की नसबंदी और इलाज निगम की आवश्यक सेवाओं के दायरे में आता है, इसलिए आवारा कृतों का मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए।

पिछले कुछ समय से आवारा कुत्तों के काटने की समस्या को लेकर जन आंदोलन चला रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने एलजी के द्वारा दी गई इस मंजूरी के लिए उनका आभार जताते हुए बतायां कि इस मुद्दे को लेकर 15 दिन पहले ही वह एलजी से मिले थे और

तब एलजी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर के लिए भूमि आबंटन के एलजी के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं एलजी ने भी यह माना है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक है। उन्होंने दिल्ली में ऐसे और अधिक सेंटर खोलने की मांग की है।

केंद्र के GOM में मंज़्री के लिए रखा जाएगा मास्टर प्लान-2(

जीओएम से

पास होने के

बाद ही इसे

जाएगा

नोटिफाई किया

🏿 विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली का ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 केंद्र सरकार के जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। जीओएम की मंजूरी के बाद ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। पहली बार दिल्ली के डाफ्ट मास्टर प्लान को जीओएम की मंज़री के लिए भेजा जा रहा है।

इस जीओएम में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शहरी विकास मंत्री हरदीप पूरी सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। 28 फरवरी को डीडीए की बोर्ड मीर्टिंग में इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी।

इसके बाद इसे मंत्रालय में नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया था। जून खत्म होने को है, लेकिन प्लान अब तक नोटिफाई नहीं हुआ। अधिकारी के अनुसार, जीओएम की मंजूरी के इंतजार में प्लान अब भी मंत्रालय में विचाराधीन है। अभी तक जीओएम की कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है।

डीडीए के वाइस चैयरमेन सुभाशीष पांडा ने बताया कि मास्टर प्लान को नोटिफाई करने से पहले जीओएम में रखा जाना है। नया मास्टर प्लान दिल्ली में नाइट लाइफ, पर्यावरण, रीडिवेलपमेंट, यमुना की सफाई, दिल्ली की संस्कृति, आसान और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी चीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, JUNE 24, 2023

NAME OF NEWSPAPE

-DATED--

Revenue dept's verification of areas marked as NCZ starts

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To ensure that the city's natural conservation zones do not fall prey to encroachment or concretisation, the Delhi government has started a "ground truthing" exercise.

The revenue department has been tasked with the physical verification of areas earmarked as natural conservation zones. Officials said Delhi has 154 such areas and once the physical verification is complete, these will be included in the sub-regional plan of 2021.

Natural conservation zones (NCZs) are environmentally sensitive green areas with rich flora and fauna that cannot be tinkered with. These zones comprise mountains and hills, rivers and water bodies which are notified for conservation under central or state laws and recognised as such in land records.

Currently, almost the entire Aravali range in the capital, areas along the Yamuna, the city's ridge, and several areas in south, west and northwest Delhi qualify to be NCZs, where construction is not allowed beyond 0.5% of the area and that too only after getting prior approval from the Centre.

According to officials, the issue of ground truthing of the city's 154 NCZs was discussed at the sixth state-level steering committee meeting held to review the implementation of policies and proposals of the NCR Planning Board. Chief secretary Naresh Kumar has issued instructions to the revenue and urban development departments to complete the exercise soon.

"The exercise will help in identification of any kind of encroachment that might have taken place in NCZ areas. Earlier, some unauthorised colonies came up on forest land. The government is being careful so that it does not happen again," said an official.

Officials said that Geospatial Delhi Limited (GSDL), which maintains and updates spatial

AN OFFICIAL SAYS

The exercise will help identify any kind of encroachment that might have taken place in NCZ areas. Earlier, some unauthorised colonies had come up in forest land. The government is now careful that it does not happen again

data through mapping and surveys, has already handed over the district-wise maps of all NCZs to the revenue department for physical verification of land. Initially, the records of 2005 were to be used for the exercise, but officials said the GSDL informed them that images of 2019 were now being used for ground truthing.

"Since some parts of land fall under the domain of the DDA, the revenue department was told to share records with it," said an official.

Once the exercise is complete, GSDL will have to prepare colour-coded maps for the purpose of keeping records.

Seal all dyeing units outside industrial areas, agencies told

New Delhi: Delhi Pollution Control Committee has directed MCD, NDMC, DDA and Delhi Cantonment Board to seal all illegal dyeing units that are operating in violation of norms.

"All dyeing units and jeans and denim washing units operating outside the approved industrial areas or redevelopment areas or operating within the approved industrial areas or redevelopment areas but without mandatory consent of DPCC are ordered to be sealed with immediate effect," stated an order issued by DPCC on Thursday.

The order added that all the local bodies and DDA should ensure the sealing, including disconnection of their electricity and water supplies, and send the action taken report on the effective closure to DPCC, accordingly.

TOI had earlier reported that such units were discharging untreated effluents into the Yamuna through drains. A strong foul smell emanates from these drains, causing severe inconvenience to residents.

"Dyeing units or denim washing units are highly water-polluting units. Their effluent is substantial. These units use various types of dyes and chemicals. Presence of dyes and other chemicals together makes the textile effluent highly toxic. The effluent is also carcinogenic due to release of various harmful chemicals, including heavy metals. The colloidal matter present in addition to the colours and the oily scum raises the turbidity, makes the water look foamy and smell bad, and inhibits the sunlight affecting selfcleaning property of waterbodies and the Yamuna," DPCC stated in the order: TNN

NAME OF NEWSPAPE

DATED

रहे हैं? बस की बुकिंग में रहें अलर्ट

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

11

दिल्ली की उमस भरी गर्मी से परेशान लोग इस समय छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से लोग बसों को पसंद कर रहे हैं। यदि आप भी छुट्टियां मनाने के लिए बस में ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बस में सीट बुक करवाने के नाम पर भी दर्ज करवाई। वत्स के अनुसार 21 जून को वह मनीष का नंबर था। वत्स ने जब इस साइबर ठग अब लोगों को शिकार बना रहे है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस तरह के काफी मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

डीडीए इंजीनियर्स काउंसिल के पैटर्न वीके वत्स इसी तरह की ठगी का शिकार हुए। उन्होंने इसकी ऑनलाइन एफआईआर आंनद विहार पुलिस थाने में



उन्होंने ऋषिकेश जाने के लिए गूगल पर नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने जवाब बस बुकिंग के लिए तलाश की।

कॉल उठाने वाले ने उन्हें बताया कि वह सुधीर है और यूपी रोडवेज का स्टाफ है। इस व्यक्ति ने उन्हें ऑनलाइन नंबर बुक करवाने के लिए एक मोबाइल नंबर दिया।

दिया कि अभी हमारी कस्टमर केयर की उन्होंने एक वेबसाइट मिली और उसमें टीम से आपके पास कॉल आएगा। वह उपलब्ध नंबर पर उन्होंने कॉल किया। आपकी बुकिंग कर देंगे। कुछ ही सेकंड में उन्हें कॉल आया।

वत्स ने कॉलर को बताया कि उन्हें आईएसबीटी से ऋषिकेश के लिए एसी बस में बुकिंग करवानी है। कॉलर ने काफी इंक्वायरी की और एक ऐप डाउनलोड करवाने के बाद कहा कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। जब वत्स ने कहा कि उन्हें

क्या सावधानी बरते

- गृगल पर वेबसाइट सर्च करते वक्त वेबसाइट का घ्यान दें
- यदि कोई आपसे ऐप डाउनलोड करने को कहता है, तो वह हरगिज न करें
- ऐप डाउनलोड करते ही आपके मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो जाती है और फिर सारी जानकारी ठग को मिलने लगती है
- बस की बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट से ही करवाएं ,

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं आती तो कॉलर ने उनसे कहा कि वह अपने कार्ड की फोटो अपने मोबाइल पर खींच लें। जैसे ही वत्स ने फोटो खींची थोड़ी देर बाद उनके अकाउंट से पैसे निकलने शुरू हो गए। चंद मिनटों में 50 हजार रुपये की चार टांजैक्शन हुई।

कुत्तों की समस्या पर बुलाई मी

🖹 प्रस, नई दिल्ली: बीजेपी नेता विजय गोयल ने रविवार को कुत्तों के काटने की समस्या पर लोदी गार्डन में मीटिंग वुलाई है। उनका कहना है कि इस समस्या से कई लोग जूझ रहे हैं और इसका समाधान होना चाहिए। समस्या इतनी बड़ी है कि सभी अस्पतालों में कुतों का स्टेरलाइजेशन सेंटर खोला जाना चाहिए। एलजी ने कुतों के स्टेरलाइजेशन सेंटर व वेटरनरी हॉस्पिटल बनाने के लिए डीडीए को वसंत कुंज में 483 वर्ग मीटर जमीन ट्रांसफर करने का आदेश तो दिया है, लेकिन यह प्रयास ही काफी नहीं है।

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI JUNE 25, 2023

DATED

'Drain Desilting To Be Finished Before Rains'

Siddhanta.Mishra @timesgroup.com

New Delhi: The Public Works Department and the Municipal Corporation of Delhi are both confident of completing the desilting of drains before the monsoons hit the city. A PWD official also said that 165 waterlogging hotspots had been identified and 128 pumphouses, of which 11 are fully automatic and sense water level, have been installed.

"We have met over 95% of the desilting target. We are confident that we will complete the work within the deadline," maintained a PWD official.

AN OFFICIAL SAYS

165 waterlogging hotspots had been identified and 128 pumphouses, of which 11 are fully automatic and sense water level, have been installed

PWD is also installing CCTV cameras at underground sumps and at identified waterlogging spots. Automatic permanent pumping arrangements are among the key measures taken by PWD to prevent waterlogging this monsoon. In addition to the main control room, PWD will establish control rooms at 10 other locations where the public can file complaints.

This year, 77 rainwater harvesting pits have been created close to locations prone to waterlogging. At the high-level meeting on monsoon preparedness in June last year, lieutenant governor VK Saxena had instructed offici-

als to start creating sinkholes 6-8 inches in diameter lined with perforated pipes at sites prone to waterlogging. PWD officials said the work was going on in places like DDU Marg, Mathura Road and Ring Road, among others.

MCD, on its part, claimed to have accomplished 68% of the desilting target of major drains and over 80% of small drains. Mayor Shelly Oberoi has designated June 28 as the deadline for the completion of work. The civic body has identified around 74 spots that are vulnerable to waterlogging and is working in coordination with various agencies like DDA, PWD and Railways to deal with the situation at these places.

Oberoi has directed the officials to speed up the work of cleaning drains in Shahdara South and Shahdara North areas in east Delhi. Apart from this, special instructions have been issued regarding the cleaning of east Delhi's Kasturba drain, Sanjay drain, Nangloi Nilothi drain and southeast Delhi's Taimur Nagar drain.

Earlier this week, Delhi Jal Board issued its standard operating procedure to deal with flooding which will be implemented from June 27. The flood control order gives specific instructions to all DJB engineering wings on how to monitor any flooding and the action to be taken in case of waterlogging. Officials have been directed to ensure all pumps and generator sets installed at critical locations are functional, to remove any hindrances to the flow of rainwater into the drains during the monsoon months, and to halt all excavation work and fill up all trenches before the rains.

NAME OF NEWSPAPE

नई दिल्ली रविवार २५ जून २०२३

प्रदूषण पर तकनीक से प्रहार करेंगी आरडब्ल्यूए-सोसाइटियां

UBM

🔳 राहुल मानव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में आरडब्ल्यूए और सोसाइटियां अब तकनीक के माध्यम से भी प्रदूषण पर प्रहार करेंगी। गीले कचरे का मौके पर ही निस्तारण करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण के लिए काम कर रहे भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ (आईपीसीए) के साथ दिल्ली नगर नगम ने यह अभियान छेडा है।

दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन में शुक्रवार को जोन की उपायुक्त बंदना राव ने आईपीसीए ने 45 आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की। गीले कचरे का मौके पर ही निस्तारण कराएगा दिल्ली नगर निगम

इसमें जीरो वेस्ट कॉलोनियों में परिवर्तन करने के दिशा में चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि केशवपुरम जोन में इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य कई अपार्टमेंट व आरडब्ल्यूए को इस अभियान से जोड़ना है। अगला कदम डीडीए फ्लैट व सोसाइटियों को जोड़ना है, जो 200 से 300 घरों तक सीमित हैं। इससे पहले निगम के शाहदरा जोन (दक्षिण) ने आईपीसीए के साथ मिलकर तीन माह के लिए बड़ी तादाद में कुड़े को उत्पन्न करने वाली कॉलोनियों के



लिए विकें द्रीत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अभियान की शुरुआत की थी। इसके महेनजर शाहदरा दक्षिण जोन की सौ सोसाइटियों व अन्य को जीरो वेस्ट कॉलोनियों में परिवर्तित किया गया। उन्होंने बताया कि अब इसी को आगे बढ़ाते हुए केशवपुरम जोन में भी यह अभियान शुरू करते हुए आरडब्ल्यू और सोसाइटियों को जागरूक किया जाएगा।

ऐसे होगा निपटान

आशीष जैन ने बताया, हमने एरोबिंस कंपोस्टर यनिट तैयार किया है। इसकी क्षमता 35 से 40 दिन में 400 लीटर गीले कचरे को रिसाइकल करने की है। इसके सहयोग से गीला कचरा खाद में परिवर्तित हो जाएगा और उसे पौधरोपण में उपयोग किया जा सकेगा। एरोबिक कंपोस्टर युनिट एक बॉक्स है, जिसको रखने के लिए सिर्फ तीन फट जगह की ही जरूरत है। बिना बिजली और रसायन के उपयोग के यह गीले कचरे को रिसाइकल कर सकता है। इसमें किसी तरह की मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। यह ऑक्सीजन के दबाव से गीले कचरे के कणों को रिसाइकल करता है।

पशिक्षण की प्रक्रिया

- सोसाइटियों में घरों में काम रही
 महिलाओं और कूड़ा डकट्टा करने
 वाले लोगों को एरोबिस कंपोस्टर से
 गीले कचरे को रिसाइकल करने के
 लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- यह सोसाइटियों व आरडब्ल्यूए का प्रशिक्षित करते हुए उन्हें गील कवरे
- को प्रशिक्षित करेंगे।
- जीरो वेस्ट कॉलोनियों में परिवर्तित होने के बाद इन सोसाइटियों द्वारा निगम को जमा कराया गया सपतिकर में से पांच फीसदी हिस्सा, इन सोसायटियों के विकास के कार्यों में खर्च किया जाएगा।

शाहदरा बना उदाहरण

- 100 सीसाइटियों को जोड़ते हुए जीरो वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया।
- सोसाइटियों से 1.25 लाख किलो गील कचरे व जैविक कचरे को एक महीने के दौरान 25 हजार किलो खाद में परिवर्तित किया गया।
- 12 मीट्रिक टन ठांस कचरे को लैंडिफिल साइट में जाने से रोका।

कहां जाएगी खाद

- घरों और पार्कों में रिसाइकल खाद को पौघारोपण के कार्यों में उपयोग कर सकते हैं।
- अन्य जगहो पर पौघारोपण के लिए भी सोसाइटियां बेच सकती हैं।
- निगम भी अपने बागवानी विभाग के लिए खाद को विभिन्न पौचारोपण के लिए ले सकता है।

NAME OF NEWSPAF

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 26 जून 2023

DATED

सर्विस हैंडओवर के चक्कर में अधेरे में द्वारका की सडकें

MCD और DDA प्रोसेस में उलझे, लोग परेशान

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

एमसीडी और डीडीए के बीच इस समय द्वारका की सड़कों, स्ट्रीट लाइटों और कई अन्य सर्विस को हैंडओवर करने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले साल से चल रही इस प्रक्रिया की वजह से द्वारका की अधिकांश सड़कें अंधेरे में डूबी हुईं हैं। स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

डीडीए की सर्विस रोड हो या पार्क के आसपास की स्ट्रीट लाइट या फिर सोसायटियों की लेन सभी जगह की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान

सोसायटियां शिकायत इसकी डीडीए और एमसीडी को कर चुकी हैं। एडीआरएफ ऑल रेजिडेंट

पिछले एक हफ्ते से हालात बद से बदतर हो गए हैं, लोगों को हो रही है दिक्कत

फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट अमन भंडारी के अनुसार डीडीए द्वारका की कई सड़कों की स्ट्रीट लाइटें एमसीडी को हैंडओवर कर चुका है। डीडीए के एक पत्र के अनुसार डीडीए इलेक्ट्रिक वर्क्स के लिए करीब 57 करोड़ का डिफिशिएंसी एस्टिमेट एमसीडी को दे चुका है। इसमें 31 करोड़ इलेक्ट्रिक वर्क्स के लिए भी थे। अब डीडीए का तर्क है कि जिन सड़कों की स्ट्रीट लाइट के लिए वह एमसीडी को पैसा दे चुका है, उसकी मेंटिनेंस वह नहीं करेगा। वहीं, एमसीडी का तर्क है कि अभी तक हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसलिए उसने सर्विस का काम शुरू नहीं किया है।





सरजीत ने बताया कि सेक्टर-12 स्थित हमारी सोसायटी के सामने काली बाड़ी रोड पर एक भी स्ट्रीट लाइट काम हीं कर रही है। सेक्टर-23 बी गोल्फ लिंक अपार्टमेंट के प्रेजिडेंट श्रीजित बेनर्जी ने बताया कि वह स्ट्रीट लाइटों की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद और पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत समेत डीडीए के वाइस चेयरमैन बिरवा भारती सोसायटी के प्रेजिडेंट से भी मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का



1. इंदिरा गांधी अस्पताल के सामने वाली सडक पर ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब पडी हैं। 2. गोल्फ कोर्स रोड से भी लोगों को निकलने में लगता है डर 3.सेक्टर-9 में पॉकेट 1 की रोड पर भी छाया रहता है अंधेरा

हल नहीं निकला। सोशल एक्टिवस्ट निधि गप्ता का कहना है कि इस समय मेट्रो के आसपास, सोसायटियों के आसपास गहरा अंधेरा है। डीडीए के मंगलापुरी ऑफिस में बीते शुक्रवार को जनसुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसे अगली डेट तक के लिए टाल दिया गया।

डीडीए के अनुसार एस्टिमेट तैयार होने के बाद डीडीए वहां कोई काम नहीं करवा सकता। क्योंकि एस्टिमेट उस समय की स्थित के आधार पर होता है। ऐसे में उसके बाद किए गए काम का फंड डीडीए वहन नहीं कर सकता।

दिल स

किसका घर टूटा था इमरजेंसी में?

देश में 1975 में इमरजेंसी लगने के दौरान कनॉट प्लेस में लंबे समय से चल रहे इंडियन कॉफी हाउस को ध्वस्त कर दिया गया। यह राजधानी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, रंगकर्मियों, ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों वगैरह के बैठने का अड्डा था। इसे तोड़े जाने की खबर जब तिहाड़ जेल में पहुंची तो वहां बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उदासी छा गई। समाजवादी नेता राजकुमार जैन भी राजनीतिक बंदी थे। आजकल ईस्ट दिल्ली में रह रहे जैन साहब कहते हैं कि जब हमें मालूम चला कि हमारा प्रिय कॉफी हाउस टूट गया है तो लगा कि जैसे कि किसी ने हमारा घर ही तोड दिया हो। बहरहाल, कॉफी हाउस की जगह पर पालिका बाजार बना। हालांकि इसके बनने से बहुत से लोग नाखुश थे, क्योंकि कनॉट प्लेस में पहले से ही जनपथ, मोहन सिंह प्लेस, शंकर मार्केट और सपर बाजार थे। पालिका बाजार को एनडीएमसी ने बनवाया था। यहां पर सबसे पहले पंचकुइयां रोड के उन दुकानदारों को जगह दी गई, जिनकी दुकानें कनॉट प्लेस से सुचेता कुपलानी अस्पताल के बीच में थीं।

इमरजेंसी में डीडीए के फ्लैट्स का डॉ 🕪 पेज 6

> देखें हमारी वेबसाइट nbtdilsedilli.com

इमरजेंसी में डीडीए के फ्लैट्स का ड्रॉ

जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस दौर में डीडीए ने मुनिरका के फ्लैट्स का ड्रॉ निकाला था। डीडीए ने मुनिरका में फ्लैट बेहद शानदार तरीके से बनाए थे। यह फ्लैट डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन की सीधी निगरानी में बने थे। यह डीडीए की शुरुआती कॉलोनियों में से एक थी। अब भी इधर फ्लैट लेने के लिए तमाम लोग कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जिन्हें तब मुनिरका का डीडीए फ्लैट मिला था, उनसे डीडीए के अफसर कहते थे कि आपकी लॉटरी निकल गई। मुनिरका के डीडीए फ्लैट्स में हजारों लोग आते-जाते रहे। इनकी असल कीमत 45 हजार रुपये रखी गई थी। जिन्हें यह घर मिले थे. उन्हें आधी राशि पहले जमा करवानी थी और बाकी किस्तों में देनी थी। हालांकि तब एक साथ 20-25 हजार रुपये निकालना कोई आसान बात नहीं थी।

> देखें हमारी वेबसाइट nbtdilsedilli.com

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 26 जून, 2023

NAME OF NEWSPAPERS---

सड़क से पार्क तक खतरों के तार दे रहे हैं काल को दावत

जागरण संवाददाता. नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में करंट की चपेट में आने से महिला यात्री की मौत तो महज बानगी है, सड़क से लेकर फटपाथ और पार्कों से लेकर बस स्टाप के आसपास फैले खुले तार लोगों के लिए खतरे का सबब बने हैं। काल बनकर मंडरा रहे ये तार न तो प्रशासन और न ही अन्य एजेंसियों को दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों के फुटपाथों पर स्टीट लाइट के स्विच बाक्स खले हुए और उसमें से नग्न तार बाहर निकले हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार इनकी चपेट में आकर पशुओं की जान जा चुकी है। अधिकारियों को इस बाबत शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की सडकों पर स्टीट लाइट के खंभों में खुले स्विच बाक्स की समस्या काफी पुरानी है। द्वारका में फुटपाथ पर जगह-जगह बिजली के तार फैले हुए भी नजर आ जाते हैं। इसके पर औपचारिकता होती है। दिल्ली



जहांगीरपूरी में जीटी रोड के फूटपाथ पर खुले हुए तार बने हैं खतरा 🍨 जागरण

भलखा गांव के पास स्टीट लाइट के खंभे पर लगा बाक्स खला पडा है • जागरण

इन स्थानों पर लटक रहे हैं विजली के तार

बाहरी दिल्ली में जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बवाना, बवाना जेजे कालोनी, नांगलोई, किराड़ी आदि इलाकों में सडकों किनारे लगी स्टीट लाइट के खंभों पर तारें लटकते रहते हैं। कई जगह तो तार नंगे रहते हैं। वर्षा के दौरान तो यहां से निकला मुश्किल हो जाता है। सुल्तापुरी, मंगोलपुरी, शाहबाद डेरी इलाकों के पार्कों में भी यही हाल है। स्थानीय लोग कई बार टीपीडीडीएल, पीडब्ल्यूडी, निगम को शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत का समाधान नहीं किया जाता।

सार्वजनिक स्थल पर लगे बिजली के उपकरणों की सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से सभी फटओवर ब्रिज, अंडरपास के साथ साथ स्टीट लाइट आदि से सबधित खले तारों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। विभाग के एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि वैसे तो मानसून से पहले ही इस तरह के निर्देश दिए गए थे और इस मामले में गंभीरता से

पीडब्ल्युडी ने सुरक्षा की

समीक्षा के दिए निर्देश

राव्यू नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे

स्टेशन पर करट लगने से शिक्षिका

लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्युडी) ने

की हुई मौत मामले को देखते हुए

ले लेते हैं। कई असामाजिक तत्व स्विच बाक्स से तार आदि चोरी करके ले जाते हैं। इस दौरान कई दर्घटनाएं भी हुई है।

काम करने के लिए कहा गया था। यह

प्रक्रिया मानसन से पहले हर साल

अपनाई जाती है।

लिए बीएसईएस को शिकायत भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक तार दरुस्त नहीं हुए हैं।

फट ओवरब्रिज पर लटक रहे तार

दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में ओखला एनएसआइसी मेट्रो स्टेशन

के पास स्थित फूटओवर ब्रिज की छत पर कुछ दिन पहले

पेड़ की कुछ टहनियां जा गिरी थी, इससे बीएसईएस

राजधानी पावर लिमिटेड के तार टूट गए। एक हफ्ते से

किया गया। पीडब्ल्युडी के अधिकारी के अनुसार इसके

अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इन तारों को ठीक नहीं

लिए डीडीए, दिल्ली छावनी परिषद व पीडब्ल्यूडी से शिकायत भी की जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम

प्लेस व बरार स्क्वायर के दो नहीं है। ऐसे में इन झुग्गियों के क्षेत्रों में हजारों लोग अवैध रूप से लोग स्ट्रीट लाइट के स्विच बाक्स झुग्गियां बनाकर रहते हैं। इनके पास से बिजली की चोरी कर कनेक्शन

छावनी परिषद के अंतर्गत किर्बी बिजली व पानी का कोई कनेक्शन

योजना में फ्लैट की कीमतें

जसोला 3 बीएचके

नरेला 2 बीएचके

द्वारका 2 बीएचके

नरेला एलआईजी

रोहिणी

सिरसपुर

लोक नायकपुर

एचआइजी और एमआइजी में मिल सकेगा मनपसंद फ्लैट

राज्य ब्यरो, नई दिल्लीः दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अगली आवासीय योजना 30 जन को जारी होगी। इस योजना में लोग जसोला, नरेला, द्वारका, रोहिणी, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में वन, दू, और थ्री बीएचके फ्लैट बुक कर सकते हैं। ईडब्यूएस श्रेणी के लिए 50 हजार, एलआइजी के लिए एक लाख, एमआइजी के लिए चार लाख और एचआइजी के लिए 10 लाख रुपये बुकिंग राशि तय की गई है। इनकी कीमत 11 लाख रुपये से लेकर 2.25 करोड़ रुपये है।

यह आवासीय योजना पिछली योजनाओं से काफी अलग है। इसमें लोग मनपसंद फ्लैट बुक करवा सकेंगे। ड्रा के बिना लोगों को फ्लैट मिलेंगे। इसलिए कब्जा मिलने के लिए भी लंबा इंतजार



पहली बार एचआइजी व एमआइजी फ्लैट भी मिलेंगे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर

5500 फ्लैट से शुरू की जाएगी यह स्कीम शुरू में इस योजना में करीब 5500 फ्लैट शामिल किए जा रहे हैं। इसके बाद मांग के अनुरूप इस योजना में समय-समय पर फ्लैट्स को जोड़ा जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो फ्लैट्स इस स्कीम में शामिल किए जाएंगे सिर्फ वही फ्लैट्स में रहेंगे। आगे फ्लैट्स बढ़ने की संभावना भी है।

एचआइजी और एमआइजी फ्लैट्स मनपसंद लोकेशन पर बुक करवा पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत शामिल किए गए हैं। पहली बार एचआइजी और एमआइजी के फ्लैट भी शामिल किए गए हैं। और जसौला में विकसित क्षेत्र में यानी अब इस श्रेणी के लोग भी बने फ्लैट हैं। इसके अलावा योजना

सकेंगे। योजना में नरेला, द्वारका, जसौला के एलआईजी फ्लैट्स शामिल किए गए हैं। इनमें द्वारका

नहीं बढाए गए हैं दाम डीडीए ने लोगों को किफायती फ्लैटस उपलब्ध करवाने के लिए कीमतों में किसी तरह की बढोतरी नहीं की है। स्कीम में शामिल ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैट्स की कीमत वर्ष 2021 की स्पेशल स्कीम जितनी रखी गई है। इतना ही नहीं एलआइजी और एमआइजी फ्लैटस की कीमत भी हाउसिंग स्कीम वर्ष 2022-23 के बराबर ही रखी गई है। कीमतों में इजाफा न करके लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है।

नहीं करना पड़ेगा। पहली बार अपनी पसंद का फ्लोर और फ्लैट में रोहिणी, नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम के एलआईजी और ईडब्ल्युएस फ्लैट भी शामिल किए गए हैं। इन फ्लैट्स को बक करवाने के लिए लोगों को सिर्फ टोकन अमाउंट देना होगा। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि

वे लोग भी इस स्कीम में फ्लैट बक कर सकते हैं जिनके पास दिल्ली में अपना घर हैं। अब तक डीडीए की स्कीम में वही लोग आवेदन कर सकते थे जिनके पास अपना घर नहीं होता था। लेकिन अब नियम बदल दिया गया है।

लगभग 2.25 करोड

लगभग 1.30 करोड

लगभग 15 लाख

लगभग १८ लाख

लगभग 30 लाख

लगभग 11 लाख से 25 लाख

लगभग 1 करोड

जून को लांच होने वाली डीडीए की आवासीय योजना के लिए अभी से हो रही पछताछ

कहां कितने फ्लैट हैं		
जगह का नाम	पाकेट	फ्लैटस
जसोला 3 बीएचके	91	41
नरेला 2 बीएचके	ए1-4	179
द्वारका २ बीएचके	19-बी	50
नरेला १ बीएचके	जी-7	937
रोहिणी १ बीएवके	34 सेक्टर	1516
नरेला १ बीएचके	जी-8	1224
सिरसपुर १ बीएचके	ए।/सी2	126
नरेला १ बीएचके	जी-2	505
रोहिणी १ बीएचके	35 सेक्टर	188
लोक नायक पुरम	-	140
नरेला १ बीएवंके	₹-1-4	777

THE TIMES OF INDIA. NEW DELHI MONDAY, JUNE 26, 2023

Another Shot At Owning A Flat In Delhi

Registration For 5,500 DDA Flats Starts On June 30; Costs Range From ₹13 Lakh To ₹2.5 Crore

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) has made all preparation to start the registration for 5,500 flats from 12 pm onwards on June 30 under its Phase IV housing scheme.

The flats are in Jasola (40 high-income group flats), Dwarka (50 middle-income group flats), Lok Nayak Puram. Rohini, Siraspur and Narela, In Narela, there are 149 MIG flats in addition to low-Income group and Economic Weaker Section flats.

The registration fee will be Rs 1,000, irrespective of the type of flat buyers are applying for, and it will be non-refundable.

Thereafter a 4-5-day window will be given to buyers to visit the property (sample flats) at each location and do booking for their choice of flat based on location, particular floor, direction, size and view. An online portal will also be launched for sale management DDA has given substantial

Vibha.Sharma@timesgroup.com of inventory and where all these options will be available for booking the flat online.

> "We are giving people the option to physically visit the flats and will depute junior engineers at the locations to guide them. We will also issue a circular giving detailed information about the booking process. Following this, a person can submit a booking amount which is Rs 50,000 for EWS, Rs 1 lakh for LIG, Rs 4 lakh for MIG and Rs 10 lakh for HIG," a senior DDA official said.

After paying the booking amount, a demand letter will be issued by DDA on the same day and a 60-day window will be given for payment of the flat cost without interest and another 30 days with interest (11%)

The prices of DDA flats will range from Rs 13 lakh for EWS to Rs 2.46 crore for HIG and these rates are similar to the rates offered in 2022-23.


"However, in line with the government objectives for affordable housing for all, the

WHAT'S ON OFFER

DDA will start registrations for 5,500 flats from noon, June 30

Registration fee ₹1,000*

*Irrespective of the type of flat applied for, non-refundable; flat will be sold on first-cum-first-serve basis



Includes 40 HIG flats in Jasola, 50 MIG in Dwarka, 149 MIG in Narela, in addition to LIG and EWS flats at Lok Navak Puram, Rohini, Siraspur and Narela

COST EWS flats | ₹10-13 lakh (including booking amount)

LIG flats ₹15 lakh | Narela and Rohini ₹17 lakh | Siraspur ₹30 lakh | Lok Nayak Puram

HIG flats | ₹2.3 to ₹2.5 crore MIG flats

₹1.1 crore | Narela ₹1.4 to ₹1.5 crore | Dwarka Sec 19B

Booking amount for flats will be ₹50,000 for EWS, ₹1 lakh for LIG, ₹4 lakh for MIG and ₹10 lakh for HIG; after paying the booking amount, a demand letter will be issued by DDA on the same day

flats reserved for the EWS category and has total area equivalent to LIG. To get the be-

concessions/discounts in the nefit of EWS, a person will need to submit an income certificate mentioning that the gross salary of a family is less

than Rs 10 lakh per annum," said the official.

The EWS flats will range from Rs 10-13 lakh (including booking amount). The LIG flats will cost around Rs 15 lakh and located in Narela and Rohini, Rs 17 lakh in Siraspur and Rs 30 lakh in Lok Nayak Puram (where plinth area is comparatively more).

The HIG flats will range from Rs 2.25 crore to Rs 2.46 crore and only 40 apartments in Jasola are included in this scheme. The MIG flats will cost around Rs 1.05 crore in Narela and Rs 1.35 crore to Rs 1.45 crore in Dwarka Sector 19B.

Though these flats are part of unsold inventory, for the first time the authority is offering flats on a first-cum-firstserve basis and all are freehold properties. "The authority has a total unsold inventory of 13,000 flats and in Phase IV housing scheme 5,500 flats are on offer," the official said.

To maximise the sale of flats, a lot of amendments are done by the authority after a

long time in housing regulation which will benefit the buyers who wanted unsold or new inventory.

"Any person having less than 67 sqm of flat or plot in Delhi is now eligible to apply for allotment of newly constructed DDA flats. The Union ministry of housing and urban affairs had approved modifications/relaxations proposed by the DDA in the housing regulations, 1968, which were issued under section 57 of the DDA Act, 1957," said official.

Likewise, in developing areas, the person can have any number of flats and buy on a first-cum-first-serve basis. "If 25% of the flats remain unsold in any area even six months after the introduction of a housing scheme, then the area is considered a developing area and people can have any number of flats here as per the amendment," said the official. The government departments/ ministry can also participate in the phase IV housing scheme.

Court directs DDA to reinstate employee

Vineet.Upadhyay@timesgroup.com

New Delhi: A Delhi court has directed a DDA employee's reinstatement, stating that he was able to prove that his services were "illegally terminated by the management that failed to prove that he left on his own.

Ram Kishore Rana, a beldar — a manual worker for construction of roads and other infrastructure was employed by DDA in 1985. He was sacked in 1992 after DDA found that he submitted forged documents while applying for the job.

...It is hereby directed that the workman be reinstated in services with full back wages, continuity of services and with all other consequential benefits. It is further directed that all the dues payable to the workman shall be cleared by the

management within a period of one month from the date of publication of this award, failing which, the claimant shall be entitled to interest at 6% per annum on the delayed period," said the court of Raj Kumar, presiding officer, labour courts, rouse avenue courts.

Advocate Rajiv Agarwal, appearing for Rana, submitted before the court that inspite of assurances made by DDA officials, the workman was not reinstated in his services.

The counsel also told the court that the termination of the services of the workman was "wholly illegal and unjustified" and he had been unemployed since the date of his termination. He requested the court to pass an appropriate award in his favour reinstating him in his services with continuity of services

COURT SAYS

The management has utterly failed to prove that claimant secured his employment on the basis of forged documents pertaining to his appointment, relieving and joining, etc

and full back wages.

Rana started working with the DDA on January 3, 1985 and his last day of work was July 7, 1992. His last drawn salary was Rs 1,674 per month.

The DDA claimed that refusal to take back on duties from the said date amounted to termination of the services of the workman.

...I have no hesitation to hold that the workman has been able to prove that his services were illegally terminated by the management and the management has failed to prove that the workman abandoned his services on his own," the court noted.

According to the court, no witness from CBI had been summoned or examined by the management to prove the FIR or to prove the seizure memo or to prove the pendency of the case. "As such, I have no hesitation to hold that the management has utterly failed to prove on record that the claimant secured his employment on the basis of the forged and fabricated documents pertaining to his appointment, relieving and joining etc.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

पंजाब केसरी

PRESS CLIPPING SERVICE

२४ जून, २०२३ > शनिवार

फ्लैटों की ब्रिकी बढ़ाने के लिए रियल स्टेट कंसलटेंट होंगे नियुक्त

डीडीए ने जारी किया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, 29 जून तक जमा की जाएगी निविदा

अमित कमार

नई दिल्ली, (पताब केसरी) दिल्ली विकास प्राधिकरण (ही हीए) ने अपने नये व प्राने फ्लेडों की बिकी बढ़ाने के लिए अब नया तरीका सोचा है। होडोए अपने विभिन्न हाउसिंग स्कीम के तहत घोषित किये जाने वाले फनैटो को बिको के लिए रियल स्टेट एडवायजर की नियुक्ति करेगा। इसके लिए डीडीए ने 19 जुन को रिक्वेस्ट फॉर प्रयोजल (आरएफपी) जारी किया था। 23 जून शुक्रवार को इसके लिए प्री बिंड मीटिंग आयोजित हुई और 29 जून को शाम पांच बजे तक निविदा जमा की जाएगी, इसके बाद शाम ६ बजे निविदा खोली जाएगी। इस संबंध में डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि रियल एस्टेट कंसलटेट कंसलटेट एक ऐसा मैंकेनिज्म डेवलेप करने के बारे में डीडीए को सलाह व सुझाव देगे जिससे उसके फ्लेटों की बिक्री बढ सके। साथ हो ये कंसलटेट विभिन्न



नरेला में फ्लैट किराए पर लेने के विकल्प का करेंगे अध्ययन

डीडीए अधिकारी ने बताया कि ये रियल स्टेट केसलटेंट नरेला में फलैट किराए पर लेने के विकल्प का अध्ययन करेंगे डीडीए का राजस्य बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशेंगे। ताकि इलाके में ज्यादा से ज्यादा संख्या में डीडीए के फलैट ऑक्यूगाई हो सकें और डीडीए का राजस्य बढ़ाया जा सके।

आवासीय क्षेत्रों में स्थित ईंडब्ल्यूएस, उपयुक्त सुझाव देंगे। डीडीए फ्लैट्स जनता, एलआईजी, एमआईजी व की अधिकतम बिक्री सनिश्चित करने एचआईजी फ्लेटों की कीमतों के के उददेश्य से ये लोग कॉर्नर, कौने, मार्केट मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। सुर्य व मार्केट की दिशा वाले फ्लैटों इनमें उक्त श्रेणियों के तहत रिक्त के लिए पंसदीदा दरें तय करते हुए डीडीए फ्लैट शामिल हैं। ये मांग और डीडीए के राजस्व बढाने के उपाय आपूर्ति के दृष्टिकोण से रियल एस्टेट सुझाएंगे। इतना ही नहीं ये रियल स्टेट क्षेत्र के ऐसे बहु आयामों का अध्ययन कंसलटेंट देश की अन्य डेवलेपमेंट करेंगे जो डीडीए फ्लैट्स की बिक्री अथारिटी व हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। साथ फ्लैटों की ब्रिकी के लिए अपनाये जा ये मौजूदा आवास नियमों और डीडीए रहे मैकेनिज्म व तौर-तरीकों का फ्लैटों की लागत के तंत्र का भी अध्ययन करेंगे और दस्तावेजों के साथ अध्ययन करेंगे और इसके लिए प्रमाणित विश्लेषण व तुलनात्मक

अध्ययन के बाद मर्जानम प्रथाओं का सुझाव देंगे। यहां बता दें कि डीडीए अपनी स्थापना से अब तक 54 हाउसिंग योजनाएं ला चुका है। इनमें विभिन्न श्रेणियों के 4, 17,063 फ्लैट शामिल हैं जिनमें जनता फ्लैटस 86764, एलआइनी 117858, एमआइनी 60673, एचआइनी 3715, ईडब्ल्य्म 1154, ईएचएम 24045 और एसएफएस फ्लैट 70054 हैं। इसके अलावा 888 गुप हाउसिंग सोसाइटियों में 114135 फ्लैट बनाए हैं जिनमें फ्री होल्ड कन्वसैस 80336 फ्लैट हैं। वहीं 33799 फ्लैट लंबित हैं। साथ ही 118 को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई हैं। उनमें 31201 प्लाट, 34253 फ्री होल्ड और 3948 लीजहोल्ड संपत्तियां शामिल हैं। वहीं वर्तमान विभिन्न योजनाओं के तहत बडी संख्या में एसएफएस. एमआइजी, एलआइजी, जनता फ्लैट का निर्माण जिनके मार्च 2024 तक पुरा होने की उम्मीद हैं।

एलजी ने नसबंदी केंद्र के लिए दी भूमि आवंटन को मंजूरी

वसंत कुंजः बनेगा आवारा कुत्तों का नसबंदी केंद्र

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने कुत्ती

क्षेत्रं सम्बोत

की नसबंदी के लिए नसबंदी केन्द्र व एक पशु अस्पताल स्थापित करने के लिए दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के वसतक्ज

इलाके में भूमि

आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह कदम आवारा कुर्तो की समस्या से निष्क ने के मद्देनजर उठाया गया है। राजनिव स के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर यह केन्द्र स्थापित करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 483 वर्ग मीटर का एक भूखंड

आवंटित करेगा।
अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव
को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश
दिया कि प्रस्तावित सुविधा नगरपालिका
की आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत
आती है, इसलिए आवारा कुत्तों की

यह कदम आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के मददेनजर उठाया गया है



प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित सुविधा नगरपालिका की आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए आवारा कुत्तों की निशुल्क नसबंदी की जानी चाहिए

नसबंदी निःशुल्क की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पालतू जानवरों के उपचार जैसे अन्य माध्यमों से केन्द्रों ह्यारा उत्पन्न राजस्व का इस्तेमाल इसके संचालन के लिए किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इस केन्द्र को निर्माण, संचालन और हस्तांतरण की तर्ज पर इस शर्त के साथ स्थापित किया जाएगा कि निर्माण, चिकित्सा उपकरण, संचालन और कर्मचारियों को भुगतान के सभी खर्च बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए पीपीपी भागीदारों द्वारा वहन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सफल

बोलीदाता को एमसीडी को बार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक, इस केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव 2019 से ही लंबित था।

गौरतलब है कि शहर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपराज्याल सचिवालय ने कहा था कि डीडीए द्वारा एमसीडी को जमीन इस शर्त पर आवंटित की जानी चाहिए कि वह कुत्तों की नसबंदी के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करे

millenniumpost NEW DELHI | SATURDAY, 24 JUNE, 2023

THE HINDU City

Saturday, June 24, 2023 DELHI

L-G approves allotment of land for setting up dog sterilisation centre

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: In a move to curb stray dog menace, Delhi L-G V K Saxena has approved the allotment of land for setting up a dog sterilisation centre cum veterinary hospital and dispensary in southwest Delhi's Vasant Kunj area, Raj Niwas officials said on Friday.

The Delhi Development Authority (DDA) will allot a plot of land measuring 483 square metres to the Municipal Corporation of Delhi (MCD) for developing the facility in publicprivate partnership (PPP) mode.

While approving the proposal, the L-G directed the DDA to ensure that since the proposed facility comes under essential municipal services, the sterilisation of stray dogs should be done free of cost.

Revenue generated from the centre through other means, like services and treatment of pets should be used for running the facility, officials said.



DDA will allot a plot of land measuring 483 square metres to the MCD for developing the facility in public-private partnership mode

The centre will be set up in build operate and transfer mode with the conditions that all expenses for construction, medical equipment, operations and payment to employees shall be borne by the PPP partners selected through a bidding pro-

cess, they said. The successful bidder will pay an annual license fee to the MCD.

According to officials, the proposal for setting up the centre was pending since 2019.

The LG Secretariat, in light of the growing incidents of dog bites and the rising menace of stray dogs in the city, had said that the land being allotted by DDA to the MCD should be on the condition that it provides free services for the sterilisation of stray dogs.

In the recent past, there have been several incidents where stray dogs have attacked people leading to deaths in some cases.

The Animal Birth Control (Dog) Rule, 2001, deals with the population control of strays. It provides for the neutering strays to achieve population stabilisation, as opposed to killing them. Improper implementation of this law is also seen as a major reason behind the growing menace of stray dogs.

L-G approves land for MCD dog sterilisation centre in Vasant Kunj

The Hindu Bureau NEW DELHI

L-G Vinai Kumar Saxena has approved allotment of land in south-west Delhi's Vasant Kunj for the Municipal Corporation of Delhi (MCD) to set up a dog sterilisation centre-cum-veterinary hospital and dispensary, Raj Niwas officials said on Friday.

The development comes amid rising instances of stray dog attacks in the past few months.

The Delhi Development Authority (DDA) has allotted 483 square metres of land to the civic body to develop the facility under the . public-private partnership mode, according to officials. DDA allots 483 sq. m. of land for the facility; development comes amid rising instances of stray dog attacks in recent past

Approving the proposal, Mr. Saxena directed the authority to ensure that stray dogs are treated free of cost since veterinary clinics are an essential municipal service.

He added that the MCD should use revenue generated from services and treatments of pets belonging to private citizens to run the facility.

Officials said the MCD has already floated tenders for the project.

NAME OF NEWSPAPERS-



NEW DELHI I SATURDAY I JUNE 24, 2023

Dog sterilisation centre soon to curb canine woes

STAFF REPORTER IN NEW DELHI

In a move to curb stray dog menace, Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has approved the allotment of land for setting up a dog sterilization centre cum veterinary hospital and dispensary in southwest Delhi's Vasant Kunj area.

According to Raj Niwas official, the Delhi Development Authority (DDA) will allot a plot of land measuring 483 square metres to the Municipal Corporation of Delhi (MCD) for developing the facility in public-private partnership (PPP) mode.

While approving the proposal, the LG directed the DDA to ensure that since the proposed facility comes under essential municipal services, the sterilisation of stray dogs should be done free of cost. Revenue generated from the centre through other means, like services and treatment of pets should be used for running the facility, officials said.

The centre will be set up in build operate and transfer mode with the conditions that all expenses for construction, medical equipment, operations and payment to employees shall be borne by the PPP partners selected through a bidding process, they said. The successful bidder will pay an annual license fee to the MCD.



According to officials, the proposal for setting up the centre was pending since 2019. The Raj Niwas, in light of the growing incidents of dog bites and the rising menace of stray dogs in the city, had said that the land being allotted by DDA to the MCD should be on the condition that it provides free services for the sterilization of stray dogs. In the recent past, there have been several incidents where stray dogs have attacked people leading to deaths in some cases.

The Animal Birth Control (Dog) Rule, 2001, deals with the population control of strays. It provides for the neutering strays to achieve population stabilisation, as opposed to killing them, Improper implementation of this law is also seen as a major reason behind the growing menace of stray

dogs. MCD officials said 57000 stray dogs were sterilised till May in 2022-23 and it had raised the target to 80,000 this year.

While five dog sterilisation centres under MCD are owned and operated by NGOs and 11 by organisations and private veterinary doctors, five centres are yet to be allotted to NGOs, said officials.

"The NGOs and private veterinary doctors are reimbursed Rs 1,000 per dog captured, neutered and released. If the dog is captured by MCD and handed over to the NGO, the payment is Rs 900 per dog," said an official. The Animal Welfare Board of India had designated over 200 feeding points in Delhi-NCR from 2014 to 2022, which was considered too few for the number of colonies in the region.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY PRESS CLIPPING SERVIC www.rashtriyasahara.com

नई दिल्ली। शनिवार • 24 जून • 2023

NAME OF NEWSPAPERS-

नसबंदी केंद्र स्थापित करने की डीडीए निगम को देगा जमीन

राजनिवास के अधिकारी का कहना

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में आवारा कुत्तों का नसबंदी केंद्र बनाने के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अनुमति दे दी है। प्रस्ताव के

मुताबिक दिल्ली विकास (डीडीए) प्राधिकरण वसंतकुंजं इलाके में 483 वर्गमीटर का प्लॉट दिल्ली नगर निगम को आवंटित करेगा। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एवं लोगों के काटने की समस्या को देखते हुए एलजी ने यह निर्णय लिया है। दरअसल आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की मांग •लंबे समय से उठ रही है।

डीडीए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर कुत्तों की नसबंदी केंद्र स्थापित करने के लिए दिल्ली नगर निगम को 483 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित करेगा।



वसंतकुंज में 483

वर्गमीटर का प्लॉट

आवंटित करने के प्रस्ताव

को एलजी की स्वीकृति

आवारा कृतों की बढ़ती

काटने की समस्या को

देखते हुए लिया निर्णय

संख्या एवं लोगों को

है कि नगरपालिका की आवश्यक सेवाओं के महेनजर यह निर्णय लिया गया है। पालतू जानवरों के उपचार की भी व्यवस्था होगी। इस केंद्र के निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के तर्ज पर इस शर्त

के साथ स्थापित किया जाएगा कि निर्माण, चिकित्सा उपकरण, संचालन और कर्मचारियों को भुगतान के सभी खर्च पीपीपी भागीदार वहन करेंगे। सफल बोलीदाता को दिल्ली नगर निगम को सालाना लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। अधिकारियों कहना है कि इस केंद्र को स्थापित

करने का प्रस्ताव वर्ष 2019 से लंबित था। उप-राज्यपाल सचिवालय ने कहा था कि डीडीएं द्वारा एमसीडी को यह जमीन इस शर्त पर आवंटित की जानी चाहिए कि वह कुत्तों की नसबंदी के लिए मुप्त सेवाएं प्रदान करे।

नसबंदी सेंटर को स्वीकृति हमारे अभियान की सफलता : गोयल



नर्ड दिल्ली (एसएनबी)। आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए बसंतकुंज में नसबंदी सेंटर स्थापित करने के निर्णय को भाजपा नेता विजय गोयल ने अपने अभियान की जीत बताया है। गोयल ने जारी बयान में कहा है कि वह इस मुद्दे पर बीते 8 जून

को उप-राज्यपाल से मिले थे और आवारा कुत्तों के बंध्याकरण की व्यवस्था कराने का आग्रह किया था। दरअसल भाजपा नेता आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के समाधान को लगातार अभियान चला रहे हैं। वह अब तकं जगह-जगह कई बैठकें कर चुके हैं।

आवारा कुत्तों के नसबंसी सेंटर के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए उप-राज्यपाल का आभार जताते हुए भाजपा नेता विजय'गोयल ने दिल्लीवासियों के बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि डॉग स्टाइजेशन सेंटर कम वेटनरी अस्पताल दिल्ली के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान निकलेगा। आवारा कुत्तों के आतंक से दिल्लीवाले परेशान हैं। हालांकि हमारे अभियान के लिए फिलहाल यह ,मामुली सफलता है।

नई दिल्ली. शनिवार २४ जून, २०२३

dainikbhaskar.com

पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापनाः MCD को जमीन DDA देगा

भास्कर न्यूज नई दिल्ली

एलजी वीके सक्सेना ने वसंत कुंज में पशु नसबंदी केंद्र, पशु चिकित्सालय और औषधालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। डीडीए इसे विकसित करने के लिए एमसीडी को 483 वर्ग मीटर का भूखंड देगा। केंद्र को बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर मोड में स्थापित किया जाएगा। इसमें निर्माण, चिकित्सा

उपकरण, संचालन और कर्मचारियों को भुगतान के सभी खर्च बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए पीपीपी भागीदारों द्वारा वहन किए जाएंगे।

प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सुविधा नगर पालिका सेवाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए पशुओं की नसबंदी मुफ्त में की जानी चाहिए। केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव 2019 से लंबित था।

amarujala.com

नई दिल्ली सोमवार, 26 जून 2023

नालों की सफाई नहीं होने से जगह-जगह जलभराव

मानसून की दस्तक के बाद भी बड़े नाले गाद से भरे, इसलिए छोटे नालों में जल निकासी बाधित

नई दिल्ली। मानसून की दस्तक के बाद भी अब तक एमसीडी के 32 फीसदी बड़े व 20 फीसदी छोटे नालों की सफाई नहीं हो पाई है। ये एमसीडी के दिए आंकडे

हैं, लेकिन असल में बड़े नाले गाद से भरे हैं इसलिए छोटे नालों में जलिनकासी बाधित है। रिववार को बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव हुआ।

निगम ने जलिनकासी के लिए पर्याप्त संख्या में पंप उपलब्ध होने की बात कही है, लेकिन पहली बारिश में ये दावे धरे रह गए। तमाम अंडरपास व सड़कें जलमग्न दिखीं। पूर्वी दिल्ली में निर्माणाधीन दिल्लीशहारनपुर एलिवेटेड रोड पर जलभराव के चलते कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस रूट पर



गंदगी से भरा पड़ा सागरपुल नाला। शुभम बंसल

पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे जलमग्न हैं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित है।

एमसीडी के सभी 12 जोनों में कुल 645 नाले हैं, जिनकी लंबाई करीब 520 किमी से अधिक है। निगम के पास चार फुट या इससे कम गहरे नाले हैं और ये बड़े नालों से होकर यमुना में गिरते हैं। इनके

अलावा पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और डीडीए के नाले भी हैं और ज्यादातर नाले एक दूसरे से जुड़े हैं। एमसीडी का दावा है कि उसके बड़े नालों से गाद निकालने का काम करीब 68 फीसदी पूरा हो गया है, छोटे नालों से गाद निकाले जाने का काम 80 फीसदी से ज्यादा पूरा हो गया है। ब्यूरो



नाले साफ किए, गाद छोड़ दी

दिलशाद गार्डेन मेट्रो स्टेशन के पास नालों की सफाई करने के बाद गाद अबतक नहीं उठाई है। यही हाल अन्य जगहों पर भी है, बारिश होने पर पुरानी गाद फिर से नालों में जा रही है। तीस हजारी कोर्ट के पास पीडब्ल्यूडी के सफाई कर्मचारी पुराने ढर्रे से नाले की सफाई करते नजर आए।



कई साल से साफ नहीं हुआ नाला

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में नजफगढ़ जोन में सागरपुर नाले की सफाई नहीं हुई। लोगों के मुताबिक कई साल से नाले की सफाई नहीं हुई। दुर्गापुरी नाला कचरे से भरा है। द्वारका में नालों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है।

दैनिक भारकरे नई दिल्ली, सोमवार २६ जून, २०२३

डीडीए की हाउसिंग स्कीम, 30 को चुनें पसंदीदा फ्लैट

नई दिल्ली | दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 30 जून को हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर रही है। यह स्कीम मई में लाई जाने वाली थी, लेकिन बोर्ड मीटिंग न हो पाने की वजह से तब लागू नहीं हो सकी। स्कीम के तहत लोग मनपसंद फ्लैट्स बुक करवा सकेंगे। स्कीम में 5600 फ्लैट्स शामिल हैं। इनमें नरेला में 41 फ्लैट 3 बीएचके, 149 फ्लैट 2 बीएचके, द्वारका सेक्टर-19 में 50 फ्लैट 2 बीएचके कैटेगरी के होंगे। जबकि विभिन्न जगहों पर 5360 फ्लैट हैं, जो 1 बीएचके कैटेगरी के होंगे। स्कीम में फ्लैट्स की कीमतें 2022 की स्कीम से मिलती-जुल्क्नी ही रहेंगी।